

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर



प्रवेश परीक्षा – 2017
(पाठ्यक्रम सत्र 2017–18)

प्रवेश निर्देशिका
Admission Brochure

प्रवेश परीक्षा - 2017 की तिथियाँ

स्नातक प्रवेश परीक्षा-2017 की तिथियाँ

क्रम	परीक्षा	तिथि	समय
1.	बी0 एस-सी0, गणित	01 जून, वृहस्पतिवार	प्रातः 09.00 से 11.30
2.	बी0 एस-सी0, जीव विज्ञान	01 जून, वृहस्पतिवार	अपराह्न 02.00 से 04.30
3.	बी0काम0 तथा बी0बी0ए0	02 जून, शंक्रवार	प्रातः 09.00 से 11.30
4.	बी0सी0ए0 तथा बी0एस0सी0(कृषि)	02 जून, शंक्रवार	अपराह्न 02.00 से 04.30
5.	एल0एल0बी0	03 जून, शनिवार	प्रातः 09.00 से 11.30
6.	बैचलर ऑफ जर्नलिज्म	03 जून, शनिवार	अपराह्न 02.00 से 05.00
7.	बी0ए0	04 जून, रविवार	प्रातः 09.00 से 11.30

स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा-2017 की तिथियाँ

क्र.सं.	एम0ए0 परीक्षा	तिथि	समय
1.	एम.ए.(शिक्षाशास्त्र), एल.एल.एम.	05 जून, 2017, सोमवार	प्रातः 09.00 से 11.00
2.	अर्थशास्त्र, पर्यावरण विज्ञान	05 जून, 2017, सोमवार	अपराह्न 02.00 से 04.00
3.	समाजशास्त्र, दृश्यकला, मंचकला,	06 जून, 2017, मंगलवार	प्रातः 09.00 से 11.00
4.	प्राचीन इतिहास, इलेक्ट्रानिक्स, वनस्पति विज्ञान	06 जून, 2017, मंगलवार	अपराह्न 02.00 से 04.00
5.	रसायनशास्त्र, गृह विज्ञान	07 जून, 2017, बुधवार	प्रातः 09.00 से 11.00
6.	बायोटेक्नोलॉजी, संस्कृत, सांख्यिकी	07 जून, 2017, बुधवार	अपराह्न 02.00 से 04.00
7.	मनोविज्ञान, एम.काम.	08 जून, 2017, वृहस्पतिवार	प्रातः 09.00 से 11.00
8.	मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास, दर्शनशास्त्र	08 जून, 2017, वृहस्पतिवार	अपराह्न 02.00 से 04.00
9.	भौतिकी, राजनीति विज्ञान	09 जून, 2017, शंक्रवार	प्रातः 09.00 से 11.00
10.	उर्दू, भूगोल, प्राणि विज्ञान	09 जून, 2017, शंक्रवार	अपराह्न 02.00 से 04.00
11.	हिन्दी, माइक्रोबायोलॉजी	10 जून, 2017, शनिवार	प्रातः 09.00 से 11.00
12.	अंग्रेजी, गणित, कृषि, सतत् शिक्षा और प्रसार कार्य	10 जून, 2017, शनिवार	अपराह्न 02.00 से 04.00
12.	एम.एड्. (प्रथम प्रश्नपत्र तथा द्वितीय प्रश्नपत्र)	11 जून, 2017, रविवार	प्रातः 09.00 से 11.00 तथा अपराह्न 02.00 से 04.00
14.	आपदा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबन्धन (पी.जी.डिप्लोमा)	12 जून, 2017, सोमवार	प्रातः 09.00 से 11.00



दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

अधिसूचना: प्रवेश परीक्षा 2017-18

पत्रांक: DDUGU.Adm.2017.001/20.4.17

दिनांक: 20.04.2017

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर परिसर के विभिन्न पाठ्यक्रमों तथा महाविद्यालयों में कृषि पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र एतद्द्वारा आमंत्रित किये जाते हैं। प्रवेश से सम्बन्धित समस्त पाठ्यक्रमों का विवरण, स्नातक प्रवेश परीक्षा का कार्यक्रम तथा अर्हताएं, प्रवेश परीक्षा से सम्बन्धित वेबसाइट www.ddugorakhpuruniversity.in पर उपलब्ध है। प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी प्रवेश सम्बन्धी प्रमाणिक सूचनाओं के लिए उक्त वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहें।

विश्वविद्यालय आवासीय परिसर के पाठ्यक्रमों का विवरण:

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम :

1. एम0ए0: हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान, मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास, प्राचीन इतिहास पुरातत्व एवं संस्कृति, भूगोल, दृश्य कला, मंच कला, शिक्षाशास्त्र, सतत् शिक्षा और प्रसार कार्य (स्ववित्त पोषित), अर्थशास्त्र, रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन।
2. एम0एस-सी0: रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन, गणित, सांख्यिकी, भौतिकी, रसायनशास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणिविज्ञान, पर्यावरण विज्ञान (स्ववित्त पोषित), इलेक्ट्रानिक्स, बायोटेक्नोलाजी स्ववित्तपोषित, गृहविज्ञान स्ववि. तपोषित एवं माइक्रोबायलाजी स्ववित्तपोषित।
3. एम0काम0
4. एल0एल0एम0
5. एम0एड0
5. स्नातकोत्तर डिप्लोमा आपदा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबन्धन-स्ववित्त पोषित में।

स्नातक पाठ्यक्रम:

1. बी0ए0, 2.बी0एस-सी0 (गणित एवं जीव विज्ञान); 3.बी0एस-सी0 (गृहविज्ञान); 4.बी0काम0; 5.एल-एल0बी0 (त्रिवर्षीय); 6.बी0बी0ए0 स्ववित्तपोषित; 7.बी0सी0ए0 स्ववित्तपोषित; 8.बी0जे0 (बैचलरऑफ जर्नलिज्म-स्ववित्तपोषित)।

महाविद्यालयों के प्रवेश व पाठ्यक्रम:

- 1.बी0 एस-सी0 (कृषि); 2.एम0 एस-सी0 (कृषि)।

प्रवेश परीक्षा-2017 के लिए महत्वपूर्ण तिथियाँ

1.	आनलाइन आवेदन प्रक्रिया का प्रारम्भ	22.04.2017
2.	ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की अन्तिम तिथि	21.05.2017
3.	पूरित ऑनलाइन आवेदन पत्र, भुगतान रसीद व प्रवेशपत्र का प्रिंट (हार्ड कॉपी) अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखें।	-
4.	स्नातक प्रवेश परीक्षा के आयोजन की सम्भावित तिथियाँ	01.06.2017 से आगे

पंजीकरण शुल्क

	वर्ग	स्नातक	स्नातकोत्तर
1.	सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग	रु0 750-00	रु0 1000-00
2.	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संवर्ग	रु0 400-00	रु0 0500-00
3.	विश्वविद्यालय कर्मचारी पाल्य	रु0 000-00	रु0 0000-00

महत्वपूर्ण नोट:

1. परीक्षार्थी विश्वविद्यालय के ही वेबसाइट को स्वयम टाइप कर www.ddugorakhpuruniversity.in स्वयम फार्म भरें व प्रवेशपत्र डाउनलोड करें। दूसरों से फार्म भराने से बचें। अन्यथा आपके साथ सायबर-धोखा भी हो सकता है।
2. फार्म भरने से पहले समस्त निर्देश ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़ लें।
3. स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा केवल गोरखपुर शहर में ही निर्धारित केन्द्रों पर होंगी।
4. पंजीकरण शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा।
5. आवेदक ऑनलाइन आवेदन स्वयम ही भरें जिससे नाम, बर्तनी व अन्य कोई भी त्रुटि न हो। बाद में परिवर्तन संभव नहीं होगा।
6. प्रवेश सम्बन्धी प्रमाणिक सूचनाओं के लिए उक्त वेबसाइट नियमित रूप से देखें।

कुलसचिव

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर।

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के सामान्य नियम

1. प्रत्येक पाठ्यक्रम (स्नातक/स्नातकोत्तर) के लिए अलग-अलग आवेदन करना होगा तथा प्रत्येक पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों की संख्या पूर्व निर्धारित है।
2. सभी संकायों में प्रतिदेय अधिप्रतिनिधित्व (वेटेज कन्सिडरेशन) निम्नलिखित ढंग से दिया जायेगा—
 - (i) गोरखपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों से योग्यता प्रदायी उपाधि प्राप्त छात्रों के लिए 2 प्रतिशत।
 - (ii) स्नातकोत्तर एवं विधि कक्षाओं में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय आवासीय खण्ड से योग्यता प्रदायी उपाधि प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को 5 प्रतिशत।
 - (iii) महिला अभ्यर्थियों के लिए 2 प्रतिशत।
 - (iv) एन.सी.सी. में 'बी' या 'सी' सर्टिफिकेट प्राप्त छात्रों/छात्राओं के लिए 2 प्रतिशत।
 - (v) राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा एवं कम से कम एक विशेष शिविर में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को 2 प्रतिशत। प्रमाण पत्र कुलपति द्वारा हस्ताक्षरित होने पर ही यह देय होगा।
 - (vi) स्काउट/रोवर्स रेन्जर्स का अधिप्रतिनिधित्व नियमानुसार अनुमन्य होगा।
 - (vii) सेवा निवृत्त/मृतक शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के अविवाहित पुत्र/पुत्री एवं पत्नी/पति को प्रवेश में अधिकतम अधिप्रतिनिधित्व सभी मानकों को मिलाकर 10 प्रतिशत अनुमन्य है।
 - (viii) सम्बद्ध/सहयुक्त महाविद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पाल्यों को स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में 10 प्रतिशत का अधिभार अनुमन्य है जो कालेजों द्वारा विश्वविद्यालय के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पाल्यों को भी तदनुसार प्रदान किया जाएगा।

टिप्पणी: उपर्युक्त अधिप्रतिनिधित्व दो से अधिक एक साथ नहीं जुड़ेगा। किसी अभ्यर्थी को किन्हीं दो छूटों के आधार पर 7 प्रतिशत से अधिक अधिभार देय नहीं होगा। 2(vii) एवं 2(viii) के लिए यह अधिभार सीमा 10 प्रतिशत होगी।

3. राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक कक्षा में कोटा है। इसके अन्तर्गत प्रवेश कुलपति जी की सहमति से होगा। अभ्यर्थी प्रार्थना पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर इसे इंगित करें। राष्ट्रीय या राज्य स्तर के खिलाड़ी जो खेलकूद के आधार पर प्रवेश लेने के इच्छुक हैं उस अभ्यर्थी का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के लिए विभिन्न संकायों तथा विभागों में स्थान निर्धारित है जो निम्नवत् है—

- | | |
|------------|---|
| अ. कला | : स्नातक 10 / परास्नातक कला 05 / परास्नातक शिक्षाशास्त्र 01 |
| ब. विज्ञान | : स्नातक 03 / परास्नातक 01 |
| स. वाणिज्य | : स्नातक 03 / परास्नातक 01 |
| द. विधि | : 02 |

4. आरक्षण :

(अ) **ऊर्ध्व आरक्षण (केवल उत्तर प्रदेश के अधिवासियों UP Domiciled के लिए) :**

- | | |
|--|------------|
| 1. अनुसूचित जाति | 21 प्रतिशत |
| 2. अनुसूचित जनजाति | 02 प्रतिशत |
| 3. अन्य पिछड़ा वर्ग (इसके लिए क्रीमीलेयर के अभ्यर्थी अर्ह नहीं हैं) | 27 प्रतिशत |
| 4. विधि में 20 प्रतिशत स्थान महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेगा। | |

इस आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी को अपने जिले के सक्षम अधिकारी यथा जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/मजिस्ट्रेट/तहसीलदार का अद्यतन अधिवास (Domicile) प्रमाण पत्र प्रवेश के समय प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा आरक्षण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक है कि उनके जाति प्रमाण पत्र अद्यतन हों तथा राज्य सरकार के नवीनतम राजाज्ञा के अन्तर्गत क्रीमीलेयर में न होने का स्पष्ट उल्लेख सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया हो। अग्रेत्तर सूच्य है कि प्रवेश के समय शासन के आरक्षण सम्बन्धी अद्यतन शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(ब) **क्षैतिज आरक्षण :**

- | | |
|---|-----------|
| 1. शारीरिक रूप से विकलांग | 3 प्रतिशत |
| 2. स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित (पुत्र/पुत्री/पौत्र/प्रपौत्र/पौत्री/प्रपौत्री) | 2 प्रतिशत |
| 3. भूतपूर्व सैनिक एवं युद्ध में शहीद, युद्ध में अपंग रक्षा कर्मी अथवा उनके पाल्य | 2 प्रतिशत |
| 4. कारगिल युद्ध में शहीद रक्षा कर्मी के आश्रित | 1 प्रतिशत |
| 5. कश्मीर विस्थापित | 5 प्रतिशत |
| 6. कार्यरत सैनिक एवं उनके पाल्य (पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री) | 1 प्रतिशत |

अग्रेत्तर सूच्य है कि शासन के आरक्षण सम्बन्धी अद्यतन शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(स) अधिसंख्य/सुपरन्यूमरी आरक्षण: 1. विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों के पाल्यों (पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री) के लिए स्नातक स्तर की कक्षाओं में प्रवेश के लिए अधिसंख्य/सुपरन्यूमरी आरक्षण की व्यवस्था है। यह कुल निर्धारित संख्या का 10 प्रतिशत है जिसमें प्रवेश आरक्षण नियमों के तहत होगा। विषय संयुक्तियाँ प्रवेश परीक्षा के अंकों के आधार पर मिलेगी। **किसी भी पाल्य का प्रवेश बिना प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हुए नहीं किया होगा।**

2. एम.एस.सी.(बायोटेक्नोलॉजी/इलेक्ट्रानिक्स/माइक्रोबायोलॉजी) में विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों/ कर्मचारियों के पाल्यों (पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री) को प्रवेश के लिए आरक्षण कुल सीटों के निर्धारित संख्या का 10% प्रतिशत।
3. विधि स्नातक की कक्षाओं में किसी भी पाल्य के लिए सुपरन्यूमरी आरक्षण देय नहीं है।
4. विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों के पाल्यों को स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु आरक्षण कुल निर्धारित सीट का **5 प्रतिशत** है।

टिप्पणी:

1. नीचे दी गई तालिका में प्रमाणपत्र के सम्मुख अंकित सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र ही मान्य होगा जो जाँच हेतु प्रवेश के समय प्रस्तुत करना होगा।

प्रमाण पत्र	सक्षम अधिकारी
(अ) जाति प्रमाण पत्र (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.)	जिलाधिकारी/अपरजिलाधिकारी/तहसीलदार/ मजिस्ट्रेट
(ब) दिव्यांग प्रमाण पत्र	मुख्य चिकित्साधिकारी
(स) स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र	जिलाधिकारी
(द) प्रतिरक्षा प्रमाण पत्र	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी
(य) विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के पाल्य	कुलसचिव
(र) सम्बद्ध महाविद्यालय के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के पाल्य	प्राचार्य, सम्बद्ध महाविद्यालय एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित
(ल) कश्मीर विस्थापित व कारगिल शहीद आदि	जिलाधिकारी

2. वि.वि. के वेबसाइट/ सम्बन्धित संकाय या विभाग के सूचना पट्ट पर प्रवेश के लिए अस्थायी रूप से अर्ह प्रवेशार्थियों की सूची प्रकाशित होगी। इसके बाद सम्बन्धित प्रवेशार्थी संकाय/विभाग की प्रवेश समिति के समक्ष अपने सभी मूल प्रमाण पत्रों (इसमें अन्तिम शिक्षण संस्था के प्रमुख द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र भी सम्मिलित है) के साथ प्रस्तुत होंगे तथा सम्बन्धित अधिकारी प्रवेश सम्पन्न करेंगे। तत्पश्चात निर्दिष्ट तिथि तक ही बैंक में ऑनलाइन या इलाहाबाद बैंक के किसी भी शाखा में चालान से शुल्क जमा करके अपना प्रवेश लेंगे। शुल्क जमा करने के एक सप्ताह के अन्दर ही सम्बन्धित विभाग में पंजीकरण करा लेंगे। अन्यथा, उनका प्रवेश निरस्त कर अन्य को वरीयताक्रम में प्रवेश दे दिया जायेगा।
3. कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय का नियमित छात्र उस तिथि से माना जायेगा जिस दिन उसने प्रवेश शुल्क जमा कर सम्बन्धित विभाग में पंजीकरण करा लिया हो।
4. प्रवेश समिति किसी भी व्यक्ति का प्रवेश बिना कारण बताये हुए निरस्त कर सकती है।
5. **योग्यता प्रदायी परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त तीन वर्ष से अधिक अन्तराल की दशा में किसी भी अभ्यर्थी का प्रवेश नहीं होगा। एक वर्ष के अन्तराल पर 5 प्रतिशत एवं दो वर्ष के अन्तराल पर 7 प्रतिशत तथा तीन वर्ष के अन्तराल पर 10 प्रतिशत प्रवेश परीक्षा के प्राप्तियों में से कटौती के उपरान्त प्रवेश लिया जाएगा। सेवारत सैन्य कर्मियों तथा भूतपूर्व सैनिकों के प्रवेश में यह नियम लागू नहीं होगा।**
6. विश्वविद्यालय की किसी कक्षा की परीक्षा में सम्मिलित हो जाने पर अथवा असफल रह जाने या रोक लिये जाने पर किसी छात्र को विश्वविद्यालय की उस कक्षा में दुबारा प्रवेश नहीं मिल सकेगा। परीक्षा में सम्मिलित/असफल छात्रों को भूतपूर्व छात्र होने की सुविधा उपलब्ध है।
7. विश्वविद्यालय की किसी भी कक्षा में किसी महाविद्यालय या अन्य विश्वविद्यालय से स्थानान्तरण के आधार पर प्रवेश नहीं होगा।
8. स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष उत्तीर्ण करने के पश्चात यदि कोई छात्र/छात्रा लगातार तीन वर्ष तक (सेमेस्टर की दशा में अधिकतम दो सेमेस्टर या अधिक) अगले सेमेस्टर या अन्तिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित नहीं होता/होती है तो उसके बाद उस छात्र/छात्रा द्वारा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष और स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष या सेमेस्टर की दशा में पूर्व सेमेस्टर की उत्तीर्ण समस्त परीक्षा निरस्त मानकर आगामी कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। यह नियम व्यक्तिगत तथा संस्थागत दोनों प्रकार के छात्रों के लिए लागू होगा।

अर्हता:

1. स्नातक कला/विज्ञान/वाणिज्य/गृहविज्ञान/कृषि में प्रवेश हेतु वर्ष 2014 या उसके बाद की उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् की इण्टरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण छात्र ही अर्ह होंगे। वर्ष 2017 में इण्टरमीडिएट/स्नातक या उसके समकक्ष परीक्षा (क्रमशः स्नातक व एल.एल.बी. तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु) में सम्मिलित छात्र भी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, परन्तु प्रवेश के समय उन्हें योग्यता प्रदायी परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र/अंक पत्र प्रस्तुत करना होगा।
2. **वर्ष 2014, 2015, 2016 में योग्यता प्रदायी (इण्टरमीडिएट या उसके समकक्ष) परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांकों में से नियमानुसार अधिकतम अंक का क्रमशः 10, 7 एवं 5 प्रतिशत की कटौती की जायेगी।**
3. जिन अभ्यर्थियों ने वर्ष 2016 से पूर्व योग्यता प्रदायी परीक्षा उत्तीर्ण की है उन्हें उपर्युक्त अन्तराल के स्पष्टीकरण हेतु नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र/संतोषजनक साक्ष्य प्रवेश हेतु काउन्सिलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा।
4. बी.एस.सी. गृह विज्ञान में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों की अलग से प्रवेश परीक्षा नहीं होगी। बी.एस.सी. गणित (मैथ) तथा बी.एस.सी. जीव विज्ञान (बायो) के प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी बी.एस.सी. गृह विज्ञान में प्रवेश ले सकते हैं।
5. बी0एस-सी0 (चिकित्सा लैब तकनीक-स्ववित्तपोषित) तथा बी0एस-सी0 (फीजियोथिरेपी-स्ववित्तपोषित) में प्रवेश परीक्षा बी0एस-सी0 जीव विज्ञान (बायो) के विषयों में होगा, अतः इण्टरमीडिएट परीक्षा विज्ञान वर्ग में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
6. उपलब्ध सीटों की संख्या में आवेदन पत्र नहीं प्राप्त होने पर प्रवेश परीक्षा नहीं आयोजित की जायेगी।
7. बी.बी.ए. में प्रवेश के लिए इण्टरमीडिएट परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक अनिवार्य है।
8. स्नातक विधि में बार कौंसिल ऑफ इण्डिया के नियमों के अनुसार एल-एल.बी. में प्रवेश हेतु सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को योग्यता प्रदायी परीक्षा (बी.ए., बी.एस.-सी., बी.काम.) में क्रमशः न्यूनतम 45 व 42 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। प्रवेश के समय बार काउन्सिल आफ इण्डिया के उपलब्ध अद्यतन मानक के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया व्यवहरित होगी।
9. स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष की कक्षाओं में प्रवेश स्नातक भाग-तीन के लिए गये विषयों में से किसी एक विषय में होगा। स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र की कक्षा में प्रवेश हेतु वे छात्र भी अर्ह होंगे, जो बी.ए./बी.एस-सी. तृतीय वर्ष में गणित/संख्यिकी के साथ परीक्षा उत्तीर्ण किये हो। **एम0एस-सी0 माइक्रोबायोलॉजी/इलेक्ट्रानिक्स, एम0ए0 एजुकेशन, एम0एड0, की प्रवेश अर्हताएं वेबसाइट www.ddugorakhpuruniversity.in के साइट लिंक में भी देखें।**
10. स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष की कक्षाओं में प्रवेश हेतु योग्यता प्रदायी परीक्षा में 40 प्रतिशत प्राप्तांक की न्यूनतम अर्हता अनिवार्य है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 40 प्रतिशत की अनिवार्यता नहीं होगी। बायोटेक्नॉलॉजी में प्रवेश हेतु सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम 55 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अनिवार्य अर्हता है।
11. एम.ए., एम.एस-सी., एम.काम. (प्रथम सेमेस्टर) में प्रवेश के लिए वही अभ्यर्थी अर्ह हैं, जिन्होंने योग्यता प्रदायी परीक्षा (स्नातक) वर्ष 2014 या उसके बाद उत्तीर्ण की हो। 2013 या इससे पहले योग्यता प्रदायी परीक्षा पास किए हुए अभ्यर्थी आवेदन के लिए अर्ह नहीं हैं।
12. सतत् शिक्षा एवं प्रसार कार्य में एम.ए. में प्रवेश हेतु वे अभ्यर्थी अर्ह होंगे जिन्होंने इस विश्वविद्यालय अथवा भारत के किसी भी विश्वविद्यालय जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त हो तथा इस विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी द्वारा मान्यता प्रदान की गयी हो, से स्नातक उपाधि प्राप्त किया हो।
13. एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु शैक्षिक योग्यता एल.एल.बी. में सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक अनिवार्य हैं, जबकि यह नियम अनुसूचित जाति/जनजाति पर लागू नहीं होगा। वर्ष 2014 या इसके पूर्व एल-एल.बी. उत्तीर्ण अभ्यर्थी प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होंगे। वर्ष 2014, 2015 व 2016 में योग्यता प्रदायी परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के कुल प्राप्त अंकों में से नियमानुसार अधिकतम अंक क्रमशः 10, 07 एवं 05 प्रतिशत की कटौती की जायेगी। एल.एल.बी. अन्तिम सेमेस्टर के परीक्षा में सम्मिलित छात्र भी एल.एल.एम. प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, लेकिन प्रवेश के समय उन्हें प्रवेश हेतु शैक्षिक योग्यता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उनका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
14. **(1) बी0जे0 (पत्रकारिता में स्नातक उपाधि) में प्रवेश हेतु** मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का स्नातक या अन्य किसी संस्थान का समकक्ष उपाधि धारी अभ्यर्थी ही अर्ह होगा। **(2) योग्यता प्रदायी परीक्षा (स्नातक) के उपरान्त तीन वर्ष तक ही कोई अभ्यर्थी बी0जे0 प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा।** (3) बी0जे0 एक पूर्णकालिक, नियमित पाठ्यक्रम है। इसमें प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी की किसी अन्य डिग्री या डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने की छूट नहीं होगी।

चयन प्रक्रिया व प्रवेश:

1. न्यूनतम अर्हता वाले और प्रवेश परीक्षा में अर्ह पाए गये अभ्यर्थियों का अस्थाई प्रवेश उनके परीक्षा के प्राप्तांक तथा अनुमन्य अधिप्रतिनिधित्व (वेटेज) के आधार पर निर्मित सूचकांक श्रेष्ठताक्रम एवं उपलब्ध सीटों के आधार पर आरक्षण नियमों के अनुसार होगा।
2. विश्वविद्यालय इसी सूची के आधार पर चयनित अभ्यर्थी को समाचार पत्रों तथा वेबसाइट (www.ddugorakhpuruniversity.in) के माध्यम से सूचित करेगा।
3. प्रवेश के समय अभ्यर्थी को तत्संबंधी प्रवेश समिति के समक्ष समस्त मूल प्रमाण पत्रों (अंक पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अधिप्रतिनिधित्व प्रमाण-पत्र, विकलांग/भूतपूर्व सैनिक/स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी आश्रित/कश्मीर विस्थापित/कारगिल शहीद दिव्यांग प्रमाण-पत्र, स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र/अन्तिम संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, आदि) एवं उनकी स्वहस्ताक्षरित एवं सत्यापित छाया प्रति प्रस्तुत करना होगा। जो अभ्यर्थी माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त अन्य बोर्ड/संस्थाओं से उत्तीर्ण है (यथा-सी.बी.एस.ई., आई.सी.एस.ई. तथा बिहार बोर्ड) उन्हें उपर्युक्त किसी भी प्रमाण पत्र के अभाव में प्रवेश देना संभव नहीं होगा। व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में योग्यता प्रदायी परीक्षा उत्तीर्ण छात्र विश्वविद्यालय के शिक्षक/राजपत्रित अधिकारी/सांसद/विधायक द्वारा प्रमाणित प्रमाणपत्र जमा करेंगे। वांछित प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत न करने की स्थिति में उनका चयन स्वतः निरस्त हो जाएगा।
4. **प्रवेश के समय प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा, एतदर्थ प्रवेश पत्र को सम्भाल कर रखें।**
5. चयनित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि एवं स्थान पर काउन्सिलिंग व्यवस्था के अन्तर्गत प्रवेश हेतु उपस्थित होकर अपने समस्त आवश्यक मूल अभिलेखों के सत्यापन के पश्चात् प्रवेश कार्ड प्राप्त कर लेना होगा। निर्धारित प्रवेश शुल्क की सूचना अभ्यर्थियों को यथा समय दी जायेगी। यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को प्रवेश नहीं लेता है तो प्रवेश हेतु उसका चयन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
6. चयनित अभ्यर्थियों को आवश्यक शुल्क जमा करके सम्बन्धित संकाय कार्यालय एवं विभाग में अपना नाम पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
7. कला संकाय में पढ़ाये जाने वाले विषय संयुक्तियों को इसी विवरणिका में पृष्ठ 7 पर देखें।
8. विज्ञान संकाय में पढ़ाये जाने वाले विषय संयुक्तियों को इसी विवरणिका में पृष्ठ 7 पर देखें।
9. किसी भी संवर्ग (Category), उपवर्ग (Sub-category) या भारांक (Weightage) का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र प्रवेश के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार का परिवर्तन बाद में स्वीकार नहीं होगा।
10. **अभ्यर्थी द्वारा फार्म भरने में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए विश्वविद्यालय जिम्मेवार नहीं होगा। फार्म में किसी प्रकार का परिवर्तन बाद में स्वीकार नहीं होगा।**
11. **किसी भी दशा में एक पाठ्यक्रम में पंजीकृत आवेदनपत्र दूसरे पाठ्यक्रम में स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा।**
12. अभ्यर्थी को इस आशय की घोषणा करनी होगी कि उसके विरुद्ध कोई आपराधिक वाद नहीं है तथा भविष्य में अगर कोई एफ.आई.आर. दर्ज होगा तो उसका प्रवेश निरस्त समझा जायेगा।
13. आवेदक द्वारा विश्वविद्यालय को प्रेषित आवेदन पत्र में बाद में कोई भी परिवर्तन संवर्ग (Category) उपवर्ग (Sub-category) आदि में नहीं किया जायेगा।
14. प्रवेश के समय अभ्यर्थी को समस्त मूल प्रमाण पत्र को तत्संबंधी प्रवेश समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। अर्हतादायी परीक्षा के उत्तीर्ण होने के छः माह बाद तक का ही मान्य चरित्र प्रमाणपत्र भी अवश्य लाना होगा। प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करने की स्थिति में प्रवेश हेतु चयन स्वतः निरस्त हो जायेगा। विश्वविद्यालय के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि किसी भी अभ्यर्थी का प्रवेश बिना कारण बताये अस्वीकृत कर सकता है।
15. **आरक्षण के लाभ हेतु अभ्यर्थी को तीन वर्ष के भीतर का जाति प्रमाणपत्र व आय प्रमाणपत्र अवश्य लाना होगा।**
16. प्रवेश परीक्षा में शामिल होने हेतु प्रवेश पत्र (Admit card) अभ्यर्थी को स्वतः इण्टरनेट से डाउनलोड करना होगा।
17. विभिन्न विषयों की प्रवेश परीक्षा की तिथियाँ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगी।
18. **प्रवेश पंजीकरण शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा।**
19. प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी समस्त प्रपत्र/अभिलेख प्रवेश परीक्षा समाप्त होने की तिथि से केवल छः माह तक ही सुरक्षित रखा जायेगा।
20. **प्रवेश हेतु आवेदनपत्र केवल विश्वविद्यालय के वेबसाइट से ही तथा स्वयम ही भरें। सम्पूरित आवेदन पत्र की प्रति विश्वविद्यालय को भेजना नहीं है। ऑनलाइन सम्पूरित आवेदन पत्र व फीस प्राप्ति की प्रति अपने पास सुरक्षित रखें व प्रवेश के समय प्रवेश तत्संबंधी समिति के समक्ष प्रस्तुत करें।**

विषय संयुक्तियाँ:

कला संकाय में पढ़ाये जाने वाले समस्त विषयों को तीन समूहों में निम्नानुसार सूचीबद्ध किया गया है। प्रत्येक प्रवेशार्थी को तीन विषय लेना है। समूह (अ) से केवल एक विषय लिया जा सकता है और समूह (ब) तथा (स) से एक-एक अथवा समूह (ब) या (स) से दो विषय का चयन किया जा सकता है।

(अ)		(ब)		(स)	
1.	मनोविज्ञान	1.	हिन्दी	1.	समाजशास्त्र
2.	भूगोल	2.	उर्दू	2.	राजनीतिशास्त्र
3.	रक्षा अध्ययन	3.	पलि	3.	अर्थशास्त्र
4.	चित्रकला / व्यवहारिक कला	4.	दर्शनशास्त्र	4.	ठतिहास
5.	संगीत	5.	प्राचीन इतिहास	5.	गणित
6.	शिक्षाशास्त्र	6.	टंग्रेजी	6.	शिक्षाशास्त्र
7.	सांख्यिकी	7.	संस्कृत		
8.	गृहविज्ञान				
9.	शारीरिक शिक्षा				

- नोट:**
1. गृह विज्ञान विषय वे ही अभ्यर्थी ले सकते हैं, जिन्होंने इण्टर में गृह-विज्ञान विषय पढ़ा हो अथवा इण्टर परीक्षा विज्ञान वर्ग से उत्तीर्ण किया हो।
 2. भूगोल विषय वे ही अभ्यर्थी ले सकते हैं, जिन्होंने इण्टर में भूगोल पढ़ा हो अथवा इण्टर परीक्षा विज्ञान या कृषि वर्ग से उत्तीर्ण किया हो।
 3. सांख्यिकी के साथ गणित लेना अनिवार्य होगा।
 4. प्रत्येक विषय में स्थान निर्धारित है। प्रवेश के उपरान्त विषय परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।

अतिरिक्त विषय की परीक्षा :

इस विश्वविद्यालय के लिए बी0ए0, बी0एस-सी0, बी0काम0 तथा बी0एस-सी0 (कृषि) उपाधि के उत्तीर्ण छात्र यदि किसी अन्य विषय की परीक्षा देना चाहें तो उन्हें उस विषय के तीनों वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में पढ़े गये विषय जो तृतीय वर्ष में छोड़ दिये गये हों, उस एक विषय की परीक्षा केवल तृतीय वर्ष की देनी होगी।

स्नातक: बी0एस-सी0 के लिए निम्नांकित संयुक्तियाँ स्वीकृत हैं -

1. गणित, भौतिकी एवं रसायनशास्त्र
2. गणित, भौतिकी एवं रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन
3. गणित, भौतिकी एवं इलैक्ट्रानिक्स
4. गणित, भौतिकी एवं सांख्यिकी
5. वनस्पतिशास्त्र, प्राणिविज्ञान एवं रसायनशास्त्र
6. वनस्पतिशास्त्र, प्राणिविज्ञान एवं रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन
7. भौतिकी, गणित एवं औद्योगिक रसायनशास्त्र
8. भौतिकी, गणित एवं कम्प्यूटर साइन्स
9. गणित, रसायनशास्त्र एवं औद्योगिक रसायनशास्त्र
10. गणित, सांख्यिकी एवं कम्प्यूटर साइन्स
11. गणित, सांख्यिकी एवं रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन
12. औद्योगिक सूक्ष्म जीवविज्ञान, वनस्पतिशास्त्र एवं रसायनशास्त्र
13. औद्योगिक सूक्ष्म जीवविज्ञान, प्राणि विज्ञान एवं रसायनशास्त्र
14. औद्योगिक सूक्ष्म, प्राणि विज्ञान एवं वनस्पतिशास्त्र
15. गृह विज्ञान (एक विषय)

सत्र 2017-18 में स्नातक प्रवेश हेतु निर्धारित सीटें:

कक्षा/पाठ्यक्रम	निर्धारित सीट
बी0ए0	1,950
बी0काम0	400
बी0एस-सी0 (गणित)	240
बी0एस-सी0 (जीव विज्ञान)	120
बी0एस-सी0 (कृषि)	300 – केवल महाविद्यालयों में
बी0एस-सी0 (गृहविज्ञान)	40
एल-एल0बी0	320
बैचलर आफ जर्नलिज्म (बी0जे0)	60
बी0बी0ए0	60
बी0सी0ए0	40

स्नातकोत्तर प्रवेश हेतु विषय तथा निर्धारित सीटें:

हिन्दी	120
टंग्रेजी	120
संस्कृत	120
उर्दू	60
समाजशास्त्र	120
राजनीतिशास्त्र	120
दर्शनशास्त्र	60
मनोविज्ञान	45
मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास	120
प्राचीन इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति	120
भूगोल	50
दृश्य कला	50
मंच कला	30
शिक्षाशास्त्र	50
एम0एड0 (विश्वविद्यालय केन्द्र तथा महाविद्यालय)	50 [50+50 महाविद्यालयों में]
सतत शिक्षा एवं प्रसार कायपदकपं	30
रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययलवन	50
सांख्यिकी	20
गणित	120
भौतिकी	50
रसायन विज्ञान	60
वनस्पति विज्ञान	50
प्राणिविज्ञान	50
पर्यावरण विज्ञान	20
इलेक्ट्रानिक्स	15
माइक्रोबायोलोजी	20
बायोटेक्नालाजी	20
गृहविज्ञान	30
आपदा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबन्धन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	50
एम0काम0	120
एम0ए0 अर्थशास्त्र	120
एल0एल0एम0	30
एम0एस0सी0 (कृषि)	15X5 [15 प्रति विषय केवल महाविद्यालयों में]

स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा का पाठ्यक्रम:

स्नातकोत्तर के किसी भी विषय में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को स्नातक स्तर (तृतीय वर्ष) पर वह विषय पढ़ा होना अनिवार्य है। तथापि, स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा में प्रश्न मूलतः इस विश्वविद्यालय के स्नातक पाठ्यक्रम से पूछे जायेंगे। एल.एल.एम. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु एल.एल.बी. उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। प्रत्येक स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा में दो घंटे अवधि में 2-2 अंक के 100 प्रश्न, कुल 200 अंक के पूछे जायेंगे। एम0ए0 व एम0काम0 के प्रश्नपत्र हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे जब कि विज्ञान विषय के प्रश्नपत्र केवल अंग्रेजी भाषा में ही होंगे।

स्नातक प्रवेश परीक्षा का पाठ्यक्रम:

प्रवेश परीक्षा में निम्नलिखित विषयों के प्रश्न होंगे, जिसका स्तर इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष होगा। प्रवेश परीक्षा में कुल 150 प्रश्न पूछे जायेंगे, जिनका विभाजन निम्नवत् होगा—

अ. बी0ए0 प्रवेश परीक्षा हेतु—

1. भाषा ज्ञान— हिन्दी (15 प्रश्न), अंग्रेजी (15 प्रश्न) = 30 प्रश्न
2. सामान्य अध्ययन— भारतीय इतिहास, दर्शन एवं संस्कृति (25 प्रश्न) भारत देश एवं लोग (15 प्रश्न), भारतीय स्वतंत्रता संग्राम (15 प्रश्न), भारतीय राजनीतिक व्यवस्था (15 प्रश्न), भारतीय सामाजिक एवं शैक्षणिक व्यवस्था (15 प्रश्न), भारतीय अर्थशास्त्र— कृषि, उद्योग व्यापार एवं पंचवर्षीय योजनायें (10 प्रश्न), महत्वपूर्ण राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय समकालीन घटनाओं और खेल—कूद पर आधारित (25 प्रश्न) = 120 प्रश्न

ब. बी0एस—सी0; प्रवेश परीक्षा हेतु—

1. सामान्य वैज्ञानिक अध्ययन (सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा) 15 प्रश्न
2. गणित/गृहविज्ञान वर्ग— गणित (45 प्रश्न), भौतिकी (45 प्रश्न)
रसायनशास्त्र (45 प्रश्न) 135 प्रश्न
3. जीवविज्ञान/गृहविज्ञान वर्ग— प्राणिविज्ञान (45 प्रश्न), वनस्पति विज्ञान (45 प्रश्न), रसायनशास्त्र (45 प्रश्न) 135 प्रश्न

स. बी0काम प्रवेश परीक्षा हेतु—

1. भाषा सम्बन्धी —अंग्रेजी (15 प्रश्न), हिन्दी (15 प्रश्न) 30 प्रश्न
2. सामान्य ज्ञान 15 प्रश्न
3. मानसिक योग्यता 30 प्रश्न
4. वाणिज्य (जिसमें पुस्तपालन एवं लेखाकर्म (20 प्रश्न), व्यावसायिक संगठन (15 प्रश्न) अर्थशास्त्र (15 प्रश्न), अधिकोषण (15 प्रश्न), व्यावसायिक भूगोल (10 प्रश्न) 75 प्रश्न

द. स्नातक विधि (एल—एल0बी0)

1. सामान्य हिन्दी (13 प्रश्न) एवं सामान्य अंग्रेजी (25 प्रश्न) 25 प्रश्न
2. सामान्य अध्ययन 50 प्रश्न
3. विधि अभिरुचि 75 प्रश्न

य. पत्रकारिता (बी0जे0)— प्रवेश परीक्षा में प्रश्नपत्र के दो खण्ड होंगे—

1. पहला खण्ड 100 अंक का — 100 प्रश्न
2. दूसरा खण्ड विवरणात्मक लघुउत्तरीय प्रश्नों का 100 अंक का— 50 प्रश्न

पाठ्यक्रम:

भारत के प्रमुख समाचार पत्र, हिन्दी के पत्र एवं पत्रिकाएं, उनके सम्पादक, भारत तथा विश्व की प्रमुख संवाद समितियाँ, सम—सामयिक राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न, संयुक्त एवं ध्रुवीय राजनीति, गुट निरपेक्ष आन्दोलन, सोवियत संघ का विघटन तथा अमेरिकी साम्राज्यवाद, सार्क संगठन, ईरान—ईराक, फिलीस्तीन तथा खाडी की समस्यायें, भारत और पड़ोसी देश, चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश, नेपाल आदि। संयुक्त राष्ट्र और उसकी भूमिका। विश्व के प्रमुख खेल और उनके खिलाड़ी, प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक, इतिहास की प्रमुख घटनाएं तथा तिथियाँ, भारत तथा विश्व का भूगोल, प्रमुख वैज्ञानिक एवं उनके आविष्कार। विश्व तथा भारत के प्रमुख राजनीतिक एवं सामाजिक व्यक्ति। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय अलंकरण एवं पुरस्कार। भारत की नयी आर्थिक नीति, उदारीकरण, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जनसंख्या विस्फोट तथा पर्यावरण आदि की समस्यायें भारत का अन्तरिक्ष कार्यक्रम, कश्मीर में आतंकवाद, सीमान्त एवं पूर्वोत्तर राज्यों की समस्यायें, स्वतंत्रता आन्दोलन के प्रमुख नेता तथा उनका योगदान। पत्रकारिता एवं जनसंचार से सम्बन्धित सामान्य जानकारी।

र. बी०बी०ए०

1. सामान्य अंग्रेजी	15 प्रश्न
2. सामान्य ज्ञान	30 प्रश्न
3. सामान्य गणित	30 प्रश्न
4. व्यवसाय अध्ययन (इण्टरमीडिएट स्तर— पुस्तपालन लेखाकर्म	15 प्रश्न
व्यावसायिक संगठन	15 प्रश्न
प्रारम्भिक अर्थशास्त्र	10 प्रश्न
व्यावसायिक वातारण	15 प्रश्न
अधिकोषण	10 प्रश्न
सामान्य प्रबन्ध के सिद्धान्त तथा प्रबन्ध के क्रियात्मक क्षेत्र	10 प्रश्न

ल. बी०सी०ए०

1. सामान्य अंग्रेजी	30 प्रश्न
2. सामान्य ज्ञान	30 प्रश्न
3. मैथमेटिकल रिजनिंग एवं लाजिक	15 प्रश्न
4. सामान्य विज्ञान	40 प्रश्न
5. सामान्य गणित (हाई स्कूल स्तर)	35 प्रश्न

ELIGIBILITY FOR FOLLOWING MASTER DEGREE COURSES

1. IN MICROBIOLOGY WITH SEMESTER SYSTEM IN THE FACULTY OF SCIENCE:

-Candidate with B.Sc. degree (10+2+3) from any recognized University shall be eligible for taking the admission test. Candidate appearing for the test should obtain at least 55% marks in graduation for GEN/OBC category and 45% for SC/ST categories as per norms.

-Candidate should have studied Botany/Zoology/Ind. Microbiology/ Microbiology/ Biotechnology as one of the subject at 3rd year graduation.

2. ELIGIBILITY FOR MASTER DEGREE COURSE IN EDUCATION:

Only that candidate will be entitled to appear in M.A. (Education) examination who has passed B.A. three years degree course with Education as one of the Subject up to the third year of the Bachelor of Arts course or any other examination by the D.D.U. Gorakhpur University, Gorakhpur.

3. ELIGIBILITY FOR MASTER DEGREE COURSE IN ELECTRONICS:

B.Sc. in Electronics/Physics.

4. ELIGIBILITY FOR POST GRADUATE DIPLOMA IN DISASTER AND NATIONAL SECURITY MANAGEMENT :

Degree of B.A./B.Sc./B.Com./L.L.B. of any recognized University or any equivalent degree of a foreign University/Institution in admission, preference will be given to the candidates having Defence and Strategic Studies/ Economics/Geography/Psychology/International Relations/ Law/any subject of Science stream as one of the subject at graduate level.

5. ELIGIBILITY FOR THREE YEAR BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION COURSE :

A candidate having 10+2 from regular course in eligible for admission.

(a) The Examination shall be partly by means of Theory papers and partly be practical/project Works.

(b) Candidate shall be required to pass separately in theory and practical/project examinations

6. ELIGIBILITY FOR MASTER DEGREE COURSE IN ENVIRONMENTAL SCIENCE :

(a) Degree of B.Sc. (Life Science) of any recognized University or any equivalent degree of foreign Institution/Indian Institution.

(b) The candidates who satisfy mentioned above clause (a) and the following conditions will also be eligible for admission in this course

(i) Candidates who are sponsored for admission to the above course by the Government, Institutions or Public bodies or Private concerns.

(ii) Foreign students/ NRIs who are permitted by the University for admission to the above course as per rules.

अन्य आवश्यक व महत्वपूर्ण निर्देश

1. स्नातक प्रवेश परीक्षा में कुल 150 वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का व कुल अधिकतम अंक 450 होगा। परास्नातक प्रवेश परीक्षा में कुल 100 वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जायेंगे जिसमें प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का व कुल अधिकतम अंक 200 होगा। विश्वविद्यालय के प्रत्येक प्रवेश परीक्षा में गलत उत्तर पर किसी अंक की कटौती नहीं होगी।
2. भाषा को छोड़कर शेष सभी प्रश्न हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे।
3. प्रश्नपुस्तिका के साथ ओ0एम0आर0 उत्तर पत्र दिये जायेंगे, जिस पर उत्तर अंकित करना होगा। केवल उत्तर पत्र का ही मूल्यांकन होगा।
4. प्रत्येक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर होंगे, जिनमें सही उत्तर का चुनाव कर उत्तर पत्र में उस प्रश्न संख्या के सामने बने विकल्पों के गोलों में से आप द्वारा चयनित विकल्प को काले बालपेन से भरना होगा।

उदाहरणार्थ—

1. रेखांकित शब्द की शुद्ध बर्तनी चुनिए—
A. सूखलाओं ○
B. श्रृंखलाओं ●
C. सिरखलाओं ○
D. संखाओं ○
उत्तर – B

2. Select the word with the correct spelling

- A. Psichology ○
- B. Sychology ○
- C. Psychology ●
- D. Psychlogy ○
उत्तर – C

आलोक— उपर्युक्त प्रश्न केवल उदाहरणार्थ है, एवं इसका वास्तविक प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

विधि संकाय में प्रवेश सम्बन्धी नियम

1. एल—एल0बी0 त्रिवर्षीय (छः सेमेस्टर) पाठ्यक्रम में प्रवेश पूर्णतया प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर होता। स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए भी प्रवेश परीक्षा का नियम लागू होगा।
2. योग्यता प्रदायी परीक्षा (स्नातक या समकक्ष/स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण करने के तीन वर्ष से अधिक अंतराल होने पर अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनर्ह होगा।
3. प्रवेश में आरक्षण, वेटेज तथा प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत प्राप्त करने सम्बन्धी विश्वविद्यालय के सामान्य नियम लागू होंगे।
4. बार कौंसिल ऑफ इण्डिया के पत्र संख्या दिनांक 24.12.2008 एवं तदुपरांत के अनुसार विधि में सत्र 2017—18 में प्रवेश हेतु सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रत्येक दशा में योग्यता प्रदायी परीक्षा (स्नातक) में 45 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग को 42 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यदि कोई अभ्यर्थी स्नातक के स्थान पर स्नातकोत्तर है व योग्यता प्रदायी परीक्षा (स्नातकोत्तर) में उक्त शर्त पूर्ण करता है तो प्रवेश हेतु अर्ह माना जाएगा। उपर्युक्त से अधिक अंक प्राप्त स्नातक/स्नातकोत्तर अभ्यर्थियों का प्रवेश, प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के श्रेष्ठताक्रम के आधार पर किया जायेगा।
5. विधि स्नातक में प्रवेश हेतु वर्ष 2014 या उसके बाद किसी विश्वविद्यालय के स्नातक या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान की समकक्ष उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी अर्ह होंगे। वर्ष 2017 की परीक्षा में सम्मिलित छात्र भी आवेदन पत्र दे सकते हैं तथा प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, किन्तु प्रवेश के समय उन्हें योग्यता प्रदायी परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण (अंकपत्र) प्रस्तुत करना होगा।

6. विधि स्नातक एक नियमित एवं पूर्णकालिक पाठ्यक्रम है। इसके साथ अभ्यर्थी किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी अन्य पाठ्यक्रम (डिप्लोमा/डिग्री/शोध) में अध्ययन नहीं कर सकता है। ऐसे व्यक्ति जो किसी नौकरी में हैं या अन्य पाठ्यक्रम में अध्ययनरत हैं विधि स्नातक प्रवेश के लिए अर्ह नहीं होंगे।
7. विधि स्नातक कक्षाओं में लेक्चर एवं ट्यूटोरियल प्रणाली से अध्यापन होता है। विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय के सामान्य नियमों के अनुसार व विधि संकाय के अध्यादेशों के अन्तर्गत सभी कक्षाओं में उपस्थिति का एक न्यूनतम प्रतिशत प्राप्त करना आवश्यक होता है। विधि तृतीय वर्ष में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के सभी चार विषय में भी उपस्थिति के यही नियम लागू होते हैं। ट्यूटोरियल एवं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की परीक्षा में अनुपस्थित छात्रों की परीक्षा बाद में नहीं की जाती है।
8. अध्ययन-अध्यापन का माध्यम हिन्दी है, किन्तु एल-एल0बी0 द्वितीय वर्ष में लीगल लैंग्वेज अनिवार्य है, जिसके लिए अंग्रेजी भाषा का भी सामान्य ज्ञान आवश्यक है।
9. प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने स्नातक परीक्षा में अंक सुधार के लिए आवेदन किया है और वे प्रवेश परीक्षा में प्रवेश के लिए अर्ह पाये गये हैं, ऐसे अभ्यर्थियों को प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थित होने पर अपने अंक सुधार की अंकतालिका प्रस्तुत करनी होगी। यदि अंक सुधार का परिणाम तब तक नहीं आया है तो ऐसे अभ्यर्थी प्रवेश नहीं पा सकेंगे।
10. वर्ष 2014, 2015 एवं 2016 में योग्यता प्रदायी परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के विधि परीक्षा के कुल प्राप्त अंकों में से नियमानुसार पूर्णांक का क्रमशः 10, 7 एवं 5 प्रतिशत की कटौती की जायेगी।
11. जिन अभ्यर्थियों ने वर्ष 2016 से पूर्व योग्यता प्रदायी परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें उपर्युक्त अन्तराल के स्पष्टीकरण हेतु नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। प्रवेश समिति पूर्ण रूप से संतुष्ट होने पर ही ऐसे अभ्यर्थियों का प्रवेश प्रदान करेगी।
12. प्रवेश परीक्षा में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को कम से कम 35 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 25 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिए 20 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 15 प्रतिशत अंक पाने पर ही श्रेष्ठताक्रम के अनुसार उनके प्रवेश पर विचार किया जायेगा।
13. विधि स्नातक भाग एक में एक बार प्रविष्ट छात्र ने यदि अनुत्तीर्ण होने के कारण या परीक्षा में सम्मिलित न होने के कारण अपने अवसर का उपयोग नहीं किया है तो वह पुनः प्रवेश का अधिकारी नहीं होगा।
14. प्रत्येक अभ्यर्थी को अन्तिम शिक्षा प्राप्त संस्था से परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि के बाद जारी किया गया चरित्र प्रमाण पत्र प्रवेश के समय जमा करना होगा। यह नियम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर से उत्तीर्ण छात्रों पर भी लागू होगा।
15. यदि प्रवेशार्थी ने किसी विश्वविद्यालय के पत्राचार के पाठ्यक्रम की स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की है तो उसका प्रवेश तभी किया जायेगा जब वह प्रवेश समिति के समक्ष इस विश्वविद्यालय के कुलसचिव का इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि उस विश्वविद्यालय की पत्राचार डिग्री इस विश्वविद्यालय की नियमित पाठ्यक्रम डिग्री के समकक्ष है।
16. यदि कोई प्रवेशार्थी प्रवेश समिति के समक्ष घोषित तथि व समय पर अपने सभी मूल प्रमाण पत्र लेकर स्वयं उपस्थित नहीं होता, तब उसका प्रवेश नहीं लिया जायेगा।
17. विश्वविद्यालय को यह अधिकार सुरक्षित है कि बिना कारण बताये किसी भी आवेदक को प्रवेश न दे और किसी भी समय प्रवेश नियमों में परिस्थितिकूल तथा नियमानुकूल संशोधन कर दे।

